भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 02

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी में शिशुगृह

2. श्री बी. के. श्रीकंदन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार का देश भर में आंगनवाड़ियों में 17,000 शिशुगृह स्थापित करने का लक्ष्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक आंगनवाड़ी में दो अतिरिक्त शिशुगृह देखभाल कार्यकर्ताओं को तैनात करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पालना योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह केन्द्रों के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 5,222 शिशुगृहों की स्थापना को मंजूरी दी है; और

(ङ) यदि हां, तो योजनाबद्ध 17,000 शिशुगृहों में से शेष शिशुगृहों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ड.): कामकाजी माताओं द्वारा अपने बच्चों को उचित बाल देखभाल और संरक्षण देने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पालना घटक के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2022 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित मिशन शक्ति के तहत पालना उप-योजना

शुरू की है। पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें इस योजना की दिन-प्रतिदिन की निगरानी और उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

आंगनवाड़ी केंद्र अंतिम बिंदु तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को आवश्यक देखभाल एवं सहायता प्रदान करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विशेष बाल देखभाल संस्थान हैं। एक अनोखे दृष्टिकोण के रूप में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से शिशु देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन शिशु देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा और संरक्षित एवं सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है। पालना घटक का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, बच्चों का स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास करना, विकास की निगरानी, टीकाकरण करना, शिक्षा देना इत्यादि है। सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्र में पहले से मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के अलावा 2 अतिरिक्त स्टाफ (एक शिशु गृह कार्यकर्त्री तथा एक शिशु गृह सहायक) का प्रावधान किया है।

शिशुगृहों की स्थापना और संचालन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त होते हैं जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपना तदनुरूपी अंशदान करने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। 15वें वित्त चक्र के दौरान कुल 17,000 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिनमें से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार **अब तक 5631 आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित** किए जा चुके हैं। इस मंत्रालय द्वारा 21.12.2023 को आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है और इसकी प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

*****